

# अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर' 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

ब अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्रीमती रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

कुलविन्द्र सिंह बनाम कुण्डा सिंह आदि  
दावा 53,88 आर.टी.ए मुकदमा नं0 102/2018  
निर्णय दिनांक :- 31.07.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व  
हाजरी वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि -  
वादी के द्वारा दी गई सहमति एवं तहसीलदार श्री करणपुर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव  
अनुसार चक 37 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 60/08 के मु.न. 3, 21, 26,  
55/1, 55/6, 55/20 की कुल 16.019 हैक्ट. नहरी भूमि में से वादी के नाम दर्ज 0.683 हैक्ट. नहरी  
भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिए जाते हैं:-  
कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री राम सिंह जाति जटसिख निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर का हिस्सा:-  
चक 37 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 60/08 के मु.न.3 के किला  
न. 2 में 0.177 हैक्ट., किला न. 3 व 4 में 0.506 हैक्ट, कुल 0.683 हैक्ट. नहरी भूमि।

शेष खाता व रहन बदस्तुर रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 2/8/2019 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की

गई।

मुहर



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर पुलिसी श्री गंगानगर

	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	500	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	504	00	योग	00	00

मुहर



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर पुलिसी श्री गंगानगर